न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय), कोर्ट नं0–1, महराजगंज

विशेष सत्र वाद संख्या–653 / 2022

उत्तर प्रदेश राज्य – प्रति – दिनेश लोध

मुकदमा अपराध संख्या–146 / 2022

धारा–8 / 22 / 23 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट

थाना–सोनौली, जिला–महराजगंज।

आरोप

मैं, फूल चन्द्र कुशवाहा, अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) कोर्ट नं0 1, महराजगंज आप दिनेश लोध को एतद्द्वारा निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमतः, यह कि दिनांक 19.09.2022 को समय करीब 17.10 बजे स्थान ग्राम तिलहवा तिराहा, अन्तर्गत थाना सोनौली, जनपद महराजगंज में वादी मुकदमा उ0नि0 अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा अपने हमराहियान के साथ मिलकर आपको पकड़ा गया और जामा तलाशी लिये जाने पर आपके कब्जे से 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ, जिसको रखने हेतु आपके पास कोई अधिकार पत्र नहीं था। इस प्रकार आपने एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट की धारा 8 / 22बी / 23बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक 04.08.2023

(फूल चन्द्र कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय),
कोर्ट नं0–1, महराजगंज

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनॉक 04.08.2023

(फूल चन्द्र कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय),
कोर्ट नं0–1, महराजगंज

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय), कोर्ट नं0–1, महराजगंज

विशेष सत्र वाद संख्या–653 / 2022

उत्तर प्रदेश राज्य – प्रति – दिनेश लोध

मुकदमा अपराध संख्या–146 / 2022

धारा–8 / 22 / 23 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट

थाना–सोनौली, जिला–महराजगंज।

04.08.2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त दिनेश लोध व्यक्तिगत रूप से मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्राप्त करायी गयीं। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष विशेष लोक अभियोजक, एन0डी0पी0एस0 उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर विद्वान विशेष विशेष लोक अभियोजक, एन0डी0पी0एस0 एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान विशेष विशेष लोक अभियोजक, एन0डी0पी0एस0 ने अभियुक्त द्वारा कारित किये गये अपराध तथा उन साक्ष्यों का विस्तृत वर्णन किया, जिनके आधार पर वह अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को सिद्ध किया जाना प्रस्तावित करते हैं और प्रार्थना की गयी है कि अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का आरोप विचरित किया जाए।

उपरोक्त का विरोध करते हुए अभियुक्त के विद्वान न्याय मित्र के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो गवाहों की सूची व दस्तावेज, जिन पर अभियोजन केस आधारित है, का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है वह अभियुक्त को झूठा फंसाने के लिए झूठे एकत्र किये गये है और प्रार्थना की गयी है कि अभियुक्त को उपरोक्त झूठे मुकदमें से उन्मोचित किया जाए।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के सम्यक् अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा धारा 8 / 22बी / 23बी एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट का अपराध कारित किये जाने का गम्भीर सन्देह पैदा होता है। अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित करने का प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अभियुक्त दिनेश लोध के विरूद्ध धारा 8 / 22बी / 23बी एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट का आरोप विरचित किया जाय।

(फूल चन्द्र कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय),
कोर्ट नं0–1, महराजगंज

अभियुक्त दिनेश लोध के विरूद्ध धारा 8 / 22बी / 23बी एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट का आरोप विरचित किया गया, जो अलग से पत्रावली में संलग्न है। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण किए जाने की याचना की। अतः पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक ..... को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण को सम्मन जारी हो।

(फूल चन्द्र कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय),
कोर्ट नं0–1, महराजगंज

Digitally signed by PHOOL CHANDRA KUSHWAHA
Date: 2023.08.07 11:08:26 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court